न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 05/2019 **दायरा दिनांक : 31.12.2018**

उनवान

1– भैरी बाई आयु 62 साल पुत्री श्री माधो पत्नी श्री रामकिशन, जाति माली, निवासी बिलेण्डी हाल निवासी लालपुरा सरोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान

2– पार्वती बाई आयु 60 साल पत्नी स्वर्गीय श्री रामकिशन, जाति माली, निवासी बिलेण्डी हाल निवासी सरोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... अपीलांटगण

बनाम

1– बाबूलाल आयु 40 साल पुत्र श्री रामनारायण, जाति माली, निवासी जालखेड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान

2– गीताबाई पुत्री रामनारायण पत्नी सत्यनारायण, जाति माली, निवासी कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान

3– धन्नी बाई पत्नी श्री रामनारायण, जाति माली, निवासी कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान

5– भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन बृहत सिंचाई परियोजना झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ललित कुमार शर्मा एवं श्री आशीष भारद्वाज
अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक : 21.09.2023**

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या 239/दावा/2017 निर्णय दिनांक 29.10.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया ने एक दावा पेश कर अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर आराजी खसरा नम्बर 46/1 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा मौजा अचलपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां, राजस्थान में स्थित है जो पूर्व में वादनी संख्या 1 के पिता व वादनी संख्या 2 के ससुर श्री माधोलाल पुत्र श्री नन्दा, जाति माली, निवासी बिलेण्डी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 के अनुसार प्रार्थी (अप्रार्थी) का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी पी सी स्वीकार किया जाता है । वादी का वाद आर्डर 7 नियम 11 के तहत खारिज किया गया।

4. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट क्रम 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 46/1 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा वाके माल ग्राम अचलपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां में स्थित है, जो अपीलांट्स क्रम 1 के पिता व अपीलांट क्रम 2 के ससुर श्री माधोलाल पुत्र नन्दा, जाति माली, निवासी बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां के खातेदारी में दर्ज थी।

5. अपीलांट के पिता/ससुर का स्वर्गवास होने पर उनका फोती इंतकाल नम्बर 76 रेस्पोडेंट क्रम 4 द्वारा निर्णय किया गया उसमें मृतक खातेदार के वारिसों में रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 के पिता/पति रामनारायण को ही एक मात्र पुत्र होना बताकर इंतकाल निर्णित कर दिया, जबकि मृतक श्री माधोलाल जी के दो पुत्र रामनारायण व रामकिशन व एक पुत्री भेरी बाई थी तथा रामकिशन का स्वर्गवास माधोलाल जी के जीवनकाल में ही हो गया तथा रामकिशन की पत्नी अपीलांट क्रम 2 जीवित थी तथा रामकिशन जी की सत्पत्ति की वारिस व उत्तराधिकारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी माधोलाल जी का फोती इंतकाल विधि विरूद्ध तरीके से निर्णित कर दिया गया है। इसलिए इंतकाल संख्या 76 काबिज खारिजी है। उक्त इन्तकाल के आधार पर अपील की मद नं. 1 में अंकित सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 के पिता/पति रामनारायण जी के खातेदारी में दर्ज हो गयी। उसके बाद उक्त आराजियात का खसरा नम्बर 46/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 1 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा दर्ज हो गया। उक्त आराजियात खसरा नम्बर 1 की रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा में अपीलांट का 2/3 हिस्सा है, जिसे अपीलांट्स अपने खातेदारी में दर्ज करवाने की वैधानिक अधिकारी है तथा दौराने विचारण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी का पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद पत्र दिनांक 29.10.2018 को निर्णय पारित करते हुए खारिज कर दिया गया है। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

6. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 29.10.2018 पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

7. उक्त वर्णित खसरा नम्बर 46/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 11 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा दर्ज हो गया है जिसमें अपीलांट का 2/3 हिस्सा है तथा आराजीयात पुश्तैनी व पैत्रिक है, जिसे रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 के पिता/पति श्री रामनारायण द्वारा अपीलांट के पिता/ससुर श्री माधोलाल जी की मृत्यु के बाद आराजी का इंतकाल खुलवाते समय स्वयं माधोलाल जी का एक पुत्र मात्र होना

(दीप्ति रामेचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बताकर सम्पूर्ण आराजियात अपने नाम दर्ज करवा लिया था जिसमें से 2 बीघा का बेचान भी रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 के पति/पिता रामनारायण द्वारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा वाद पत्र में अंकित करवाये गये तथ्यों व प्रस्तुत साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुए अपीलांट/वादीगण वाद पत्र दिनांक 29.10.2018 को खारिज कर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

8. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 29.10.2018 को निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा।

9. अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 29.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

10. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट नं. 2, 3 व 4 की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई ।

11. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट क्रम 1 व 2 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 46/1 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा वाके माल ग्राम अचलपुरा, तहसील छीपाबडोद जिला बारां में स्थित है, जो अपीलांट क्रम 1 के पिता व अपीलांट क्रम 2 के ससुर श्री माधोलाल पुत्र नन्दा, जाति माली, निवासी बिलेण्डी, छीपाबडोद के खातेदारी में दर्ज थी।

12. अपीलांट के पिता/ससुर का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इंतकाल में 76 रेस्पोडेंट कम 4 धारा निर्मित किया गया, उसमें मृतक के खातेदार के वारिसान में रेस्पोडेंट कमांक 1 व 3 के पिता/पति रामनारायण को ही एक मात्र पुत्र होना बताकर इन्तकाल निर्णित कर दिया, जबकि मृतक श्री माधोलाल के दो पुत्र रामनारायण व रामकिशन व एक पुत्री भैरीबाई थी तथा रामकिशन का स्वर्गवास माधोलाल जी के जीवनकाल में ही हो गया तथा रामकिशन की पत्नी अपीलांट कम 2 जीवित है जो रामकिशन की सम्पत्ति की वारिस तथा उत्तराधिकारी है । लेकिन इसके बावजूद माधोलाल जी का फौती इन्तकाल विधि विरूद्ध तरीके से निर्णित कर दिया गया है, इसलिए इन्तकाल संख्या 76 काबिज खारिजी है।

13. उक्त इन्तकाल के आधार पर अपील की मद नम्बर 1 में अंकित सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 के पिता/पति रामनारायण जी के (खातेदारी) में दर्ज हो गई। उसके बाद उक्त आराजीयात का खसरा नम्बर 46/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 1 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा दर्ज हो गया। उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1 की रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा में अपीलांट का 2/3 हिस्सा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है। जिसे अपीलांट अपने खातेदारी में दर्ज करवाने की वैधानिक अधिकारी है तथा दौराने विचारण रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी का पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट वादीगण का वाद पत्र दिनांक 29.10.2018 को निर्णय पारित करते हुए खारिज कर दिया गया है।

14. उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 46/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 1 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा दर्ज हो गया है, जिससे अपीलांट का 2/3 हिस्सा है।

15. अपीलांट्स के पिता की वर्णित आराजी पुश्तैनी एवं पैतृक है जिसकी अपीलांट उत्तराधिकारी है।

16. रेस्पोडेंट 1 ता 3 के पिता रामनारायण द्वारा अपीलांट के पिता/ससुर माधोलाल जी की मृत्यु के बाद आराजी का इन्तकाल खुलवाते समय रेस्पोडेंट कमे 4 से मिलीभगत कर माधोलाल जी का एक पुत्र मात्र होना बताकर सम्पूर्ण आराजीयात अपने नाम दर्ज करवा ली गई, जिसमें 2 बीघा का बेचान भी रेस्पोडेंट कमांक 1 ता 3 के पिता/पति रामनारायण द्वारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया गया।

17. अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमाबंदी की असल दस्तावेज पेश किये हैं। साथ रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 पिता/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। साथ ही अपीलांट के पिता/ससुर माधोलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया ।

18. अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत बिलेण्डी से जारी किया गया वारिस प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा मृतक रामकिशन पुत्र माधोलाल के वारिसान के रूप में बेवा पार्वतीबाई को मृतक रामकिशन का वारिसान बताया है। इस प्रकार अपीलांट कम 1 व 2 माधोलाल के वारिसान हैं।

19. रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 2 की माता धन्नीबाई स्वयं नाते चली गई थी उसके सम्बन्ध में से रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 2 के द्वारा इस के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बिलेण्डी को प्रार्थना पत्र दिया गया, उसकी प्रति भी अपीलांट ने पेश की है।

20. इस तरह अपीलांट कम 1 व 2 भी वर्णित आराजी में माधोलाल की पुत्री एवं बहू होने के नाते वारिसान है।

21. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 29.10.2018 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में 2014 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 317, 2003 ए.आई.आर. एस.सी. पेज नं. 759 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

23. हमने अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत अपील का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि वादी/अपीलांट द्वारा धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद वास्ते घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा हेतू प्रस्तुत किया। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत कर यह कथन किया कि वादीगण द्वारा वादपत्र की मद नम्बर 1 में वाद कारण दर्ज किया गया है। उक्त दिनांक 15.09.2017 को कोई वाद कारण वादीगण को उत्पन्न नहीं हुआ केवल मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद कारण दर्ज कर दिया है। उक्त वाद कारण के आधार पर वादीगण का वाद काबिले निरस्तनीय है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन अंकित किया कि वाद पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें वादीगण को पैदा होने व विवाह होने के पश्चात् तक अधिकार हासिल है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

24. अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 29.10.2018 द्वारा वाद वादीगण खारिज करते हुए यह तथ्य अंकित किये हैं कि वादीगण का वाद मियाद बाहर है, वादीगण को मृतक माधोलाल व रामनारायण के फोती इंतकाल की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जो वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी द्वारा खातेदारी एवं बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया है। मृतक माधोलाल व रामनारायण के फौत होने का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उनकी मृत्यु का कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। माधोलाल के पुत्र रामकिशन की पत्नी प्रतिवादी कम 2 पार्वतीबाई द्वारा एवं भैरीबाई द्वारा माधोलाल के मरने के बाद रामनारायण के जीवनकाल में ही अपना हिस्सा प्राप्त करने का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया। रामकिशन फौत होना बताया है। रामकिशन की मृत्यु कब हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। पार्वती बाई नाते जाना बताया है। पार्वतीबाई का इस विवादित आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त करने की कोई अधिकारी नहीं है। वर्तमान पति की जायदाद में अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीगण द्वारा वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के बावजूद भी वाद कारण उत्पन्न होना बताया है। वादी द्वारा रामनारायण के खाते की नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है, जबकि दावा बाबूलाल, गीताबाई के विरूद्ध किया है। बाबूलाल व गीताबाई के खाते की जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते की नकले पेश नहीं करने, माधोलाल व रामनारायण के फौती इन्तकाल की अपील नहीं करने, दावा मियाद बाहर होने के कारण, प्रतिवादी क्रम 2 पार्वतीबाई नाते चले जाने के कारण, वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण, माधोलाल, रामनारायण, रामकिशन की मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने, प्रतिवादी क्रम 1 व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2 को पक्षकार बनाते हुए दावा पेश किया है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत दावा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

25. उक्त वर्णित समस्त बिन्दुओं का निर्णय सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्नों का निर्णय विवाद्यक विचरित करने के बाद, पक्षकारान को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के बाद ही किया जा सकता है। वादीगण 1 व 2 वर्तमान अपीलार्थी का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन व प्रतिवादीगंण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था। जिसे ऑदेश 7 नियम 11 के तहत प्रारम्भिक स्तर पर खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है।

26. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 अपास्त किया जाता है और प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद, जिला बारां को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी पक्ष से जवाबदावा लेकर समुचित विवाद्यक विचरित कर, उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद का निर्णय गुणावगुण पर विधि सम्मत रूप से पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.11.2023 को उपस्थित होवें।

27. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/09/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा